

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना, बिहार।

पटना, दिनांक- 17/7/18

विषय:- सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य के 41 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश की राशि के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹423.20 लाख Other than SC and ST घटक में, ₹165.40 लाख SC घटक में एवं ₹44.40 लाख ST घटक में अर्थात् कुल राशि ₹633.00 लाख (छह करोड़ तेतीस लाख रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकासी की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "सबके लिए आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक-17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

मंत्रालय के पत्रांक-N-11012/3/2017-HFA-3-UD(C No 9031709) दिनांक-30.03.2018 द्वारा राज्य के 41 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु Other than SC and ST घटक में ₹1269.60 लाख, SC घटक में ₹496.20 लाख एवं ST घटक में ₹133.20 लाख अर्थात् कुल राशि ₹1899.00 लाख केन्द्रांश विमुक्त की गयी है। अनुपातिक राज्यांश की राशि की निकासी की जानी है। तदनुसार 41 नगर निकायों में योजना के लाभार्थी आधारित निर्माण के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ-07 में अंकित ₹423.20 लाख Other than SC and ST घटक में, स्तम्भ 08 में अंकित ₹165.40 लाख SC घटक में एवं स्तम्भ-09 में अंकित ₹44.40 लाख अर्थात् कुल राशि ₹633.00 लाख (छह करोड़ तेतीस लाख रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकासी की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रू0 में)

क्र.सं.	नगर निकाय/परियोजना का नाम	स्वीकृत आवासीय इकाई की सं0	Other than SC & ST मद में विमुक्त केन्द्रांश की राशि	SC मद में विमुक्त केन्द्रांश की राशि	ST मद में विमुक्त केन्द्रांश की राशि	Other than SC & ST मद में विमुक्त अनुपातिक राज्यांश की राशि	SC मद में विमुक्त अनुपातिक राज्यांश की राशि	ST मद में विमुक्त अनुपातिक राज्यांश की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अररिया फेज-I	215	51.60	25.20	0.00	17.20	8.40	0.00
2	औरंगाबाद फेज-I	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	बैरगनिया फेज-I	51	7.20	4.20	0.60	2.40	1.40	0.20
4	बखरी फेज-I	225	40.80	16.20	0.00	13.60	5.40	0.00
5	बख्तियारपुरफेज-I	636	30.00	17.40	21.00	10.00	5.80	7.00
6	बलिया फेज-I	211	31.20	14.40	0.00	10.40	4.80	0.00
7	बड़हिया फेज-I	98	8.40	3.00	1.80	2.80	1.00	0.60

8	बेलसण्ड फेज-I	670	78.00	19.80	0.00	26.00	6.60	0.0
9	बेनीपुर फेज-I	500	81.00	22.80	7.20	27.00	7.60	2.2
10	बिहारशरीफ फेज-I	396	13.80	15.00	0.60	4.60	5.00	0.2
11	बीहट फेज-I	375	38.40	4.80	2.40	12.80	1.60	0.8
12	चकिया फेज-I	100	6.00	18.00	0.00	2.00	6.00	0.0
13	चनपटिया फेज-I	75	12.60	1.20	0.00	4.20	0.40	0.0
14	छपरा फेज-I	562	24.60	21.60	1.20	8.20	7.20	0.4
15	डुमरा फेज-I	411	31.80	13.80	1.80	10.60	4.60	0.6
16	डुमराँव फेज-I	500	79.20	24.00	13.20	26.40	8.00	4.4
17	गया फेज-I	1249	70.80	37.20	16.80	23.60	12.40	5.6
18	घोघड़डीहा फेज-I	408	33.60	7.80	0.60	11.20	2.60	0.2
19	हाजीपुर फेज-I	304	37.20	22.80	0.60	12.40	7.60	0.2
20	हिसुआ फेज-I	160	0.00	2.40	0.00	0.00	0.80	0.0
21	झाझा फेज-I	200	28.80	12.60	0.00	9.60	4.20	0.0
22	झंझारपुर फेज-I	500	51.00	29.40	0.00	17.00	9.80	0.0
23	केसरिया फेज-I	300	25.20	13.80	0.00	8.40	4.60	0.0
24	खुशरूपुर फेज-I	500	42.60	51.00	0.00	14.20	17.00	0.0
25	किशनगंज फेज-I	458	65.40	6.60	2.40	21.80	2.20	0.8
26	मधुबनी फेज-I	340	0.60	0.00	0.00	0.20	0.00	0.0
27	महारजगंज फेज-I	808	10.80	3.00	25.80	3.60	1.00	8.6
28	मैरवा फेज-I	105	0.60	0.60	4.20	0.20	0.20	1.4
29	मखदुमपुर फेज-I	294	39.60	24.60	0.00	13.20	8.20	0.0
30	मसौदी फेज-I	304	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.6
31	मोकामा फेज-I	200	0.00	0.60	0.00	0.00	0.20	0.0
32	मुरलीगंज फेज-I	786	71.40	17.40	1.80	23.80	5.80	0.6
33	मुजफ्फरपुर फेज-I	769	0.60	0.00	5.40	0.20	0.00	1.8
34	नौगछिया फेज-I	636	1.20	0.60	5.40	0.40	0.20	1.8
35	निर्मली फेज-I	60	10.80	5.40	0.00	3.60	1.80	0.0
36	फुलवारीशरीफ फेज-I	319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
37	सहरसा फेज-I	1000	4.80	2.40	11.40	1.60	0.80	3.8
38	शिवहर फेज-I	550	119.40	18.60	3.00	39.80	6.20	1.0
39	सीतामढ़ी फेज-I	500	101.40	12.60	3.60	33.80	4.20	1.2
40	तेघड़ा फेज-I	100	13.20	4.80	0.00	4.40	1.60	0.0
41	ठाकुरगंज फेज-I	484	6.00	0.60	0.60	2.00	0.20	0.2
	कुल	16401	1269.60	496.20	133.20	423.20	165.40	44.40

2. स्वीकृत राशि ₹633.00 लाख (छह करोड़ तेतीस लाख रू० मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार संबंधित नगर निकायों को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि

की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-354 दिनांक-28.03.2018 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए०सी० विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. (i) स्वीकृत राशि ₹633.00 लाख (छह करोड़ तेतीस लाख रू० मात्र) में से ₹165.40 लाख रू० (एक करोड़ पैंसठ लाख चालीस हजार रू० मात्र) माँग/विनियोग सं०-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0305- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-48-2217037890305, पी०एफ०एम०एस० कोड-1989, विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान-0305.31.05-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित अवशेष 2711.33 लाख रू० में से विकलनीय होगा।

(ii) स्वीकृत राशि ₹633.00 लाख (छह करोड़ तेतीस लाख रू० मात्र) में से ₹423.20 लाख (चार करोड़ तईस लाख बीस हजार रू० मात्र) माँग/विनियोग सं०-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-051, निर्माण, उप शीर्ष-0303- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-48-2217030510303, पी०एफ०एम०एस० कोड-1989, विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान-0303.31.05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित अवशेष 533.38 लाख रू० में से विकलनीय होगा।

(iii) स्वीकृत राशि ₹633.00 लाख (छह करोड़ तेतीस लाख रू० मात्र) में से ₹44.40 लाख (चौवालीस लाख चालीस हजार रू० मात्र) माँग/विनियोग सं०-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उप-योजना, उप शीर्ष-0303- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-48-2217037960303, पी०एफ०एम०एस० कोड-1989, विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान-0303.31.05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित 75.00 लाख रू० में से विकलनीय होगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक-378 दिनांक-16.01.2018 के आलोक में सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को अवश्य भेजा जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ०-१५/टि० पर दिनांक-...14.07.18... को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ०-१५/टि० पर दिनांक-...13.07.18... को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016

28

दिनांक- 17/7/18

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016

28

दिनांक- 17/7/18

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/संबंधित नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी/मा० मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।